"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2024—भाद्रपद 22, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जुलाई 2024

क्रमांक ई 1-10/2020/एक-2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 आबंटन वर्ष के अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु उपयुक्तता का निर्धारण किये जाने के लिये आयोजित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 16-02-2021 में श्री राजेश सुकुमार टोप्पो के संबंध में अपनी अनुशंसा बंद लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था. पूर्णविचार उपरांत राज्य शासन द्वारा श्री टोप्पो की पदोन्नति के संबंध में बंद लिफाफे में की गई अनुशंसा को खोले जाने का निर्णय लिया गया. छानबीन समिति की बैठक दिनांक 16-02-2021 में श्री टोप्पों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिये योग्य पाया गया है. अतएव अनुशंसा अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2005 बैच के अधिकारी श्री राजेश सुकुमार टोप्पो को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

(2005) के अधिसमय वेतनमान में देय पदोन्नति दिनांक 01-01-2021 से अधिसमय वेतनमान Pay Matrix Level-14 में पदोन्नत करते हुए सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करता है. यह पदोन्नति इस शर्त पर दी जाती है, कि वे Mid Career Training (Phase-IV) में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2024

क्रमांक/3499/बी-4/21/2001/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा-26 (2) के खण्ड (3) के उप खण्ड (चार पांच एवं छः) में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करती है.

1. श्री विमल चावड़ा-प्रख्यात बीज व्यवसायी, वीएनआर सीड कंपनी, चंदनीडीह, रायपुर.

(चार) कृषि विकास के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला एक प्रख्यात उद्योगपति या विनिमार्ता.

2. श्रीमती जानकी सत्यनारायण चंद्रा, मुकाम पोस्ट, भोथिया, तह. जैजेपुर, जिला सक्ती.

(पांच)— ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्री.

3. श्री रामसुमन उईके, ग्राम गितपहर, जिला कांकेर.

(छः) एक प्रगतिशील कृषक, अधिमान्यतः जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो.

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी दिनांक से 03 वर्ष से अनधिक होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2024

क्रमांक 3107/2318/21-ब/छ.ग./2024.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री झनक राम साहू, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, गरियाबंद, जिला गरियाबंद की सेवाएँ उनके उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, समाप्त करते हुये उनके स्थान पर श्री शिव दयाल साहू को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, गरियाबंद, जिला गरियाबंद तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 18(3) की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अतिरिक्त लोक अभियोजक, गरियाबंद, जिला गरियाबंद के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3142/751/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 25 मार्च, 2022 के अनुरूप देय होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक 2161/2043/21-ब/छ.ग./2024.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री श्याम कुमार रंगारी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, धमतरी की सेवाऐं समाप्त करते हुये उनके स्थान पर श्री गुलाब भारती गोस्वामी को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, धमतरी, जिला धमतरी तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 18 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अतिरिक्त लोक अभियोजक, धमतरी, जिला धमतरी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3142/751/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 25 मार्च, 2022 के अनुरूप देय होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अगस्त 2024

क्रमांक 2179/2548/21-ब/छ.ग./2024.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आदित्य कुमार झा, श्री रणवीर सिंह भामरा, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री विजय कुमार लांजे, सरोज गुप्ता, श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री मोहन लाल साहू, कु. शमीम रहमान, श्रीमती वर्षा राठौर, श्री अवध नारायण द्विवेदी, श्री राजेन्द्र जैन, श्री रत्नेश पाण्डेय एवं श्री अजय जोशी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायपुर छ.ग. की सेवाएं समाप्त करते हुये, राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 18(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, श्री वीरूराम सोनबेर, श्री राहुल गुप्ता, श्री कैलाश अगासे, श्री रितेश अवस्थी, श्री पारेशवर बाघ, श्री विजय कुमार यादव, वर्षा जैन, श्री राजेन्द्र कुमार मल्होत्रा, श्रीमती जानकी बिलथरे, श्रीमती रश्मि रानी, कु. पूजा मोहिते एवं श्री बंसत कुमार गोड़ अधिवक्ता को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायपुर जिला रायपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों की फीस के मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहाबुद्दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 अगस्त 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20230404210006 7/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जिलाड़ी प.ह.नं. 25	0.703	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत जिलाड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 10 मई 2024

क्रमांक/204/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	चन्द्रपुर	बिरहाभांठा प.ह.नं. 40	0.339	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग लाखा (अ.मु.) खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	अमलीपाली माइनर 02 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सक्ती, दिनांक 10 मई 2024

क्रमांक/208/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	चन्द्रपुर	पलसदा प.ह.नं. 40	0.104	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा (अ.मु.) खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	अमलीपाली माइनर 02 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्रमांक/5289/भू-अर्जन/2024.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	पातररास प.ह.नं. 03	1.055	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दंतेवाड़ा	बायपास गीदम जनपद से बांगाबाड़ी सड़क निर्माण पातररास

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चर्तुवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2024

प्रकरण क्रमांक/07/अ–82/2022–23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–तमनार
- (ग) नगर/ग्राम–कसडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.058 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	286/1	0.016
	285/1	0.011
	286/4	0.006
	285/4	0.005
	286/3	0.011
	286/2	0.009
योग	6	0.058

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रायगढ़ को परियोजना अंतर्गत कसडोल–भैंसगढ़ी–बरबहली होते हुए बरलिया तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2024

प्रकरण क्रमांक/04/अ–82/2022–23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–तमनार
- (ग) नगर/ग्राम–बासनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.701 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	55/1	0.012
	66/2	0.053
	120/4/ख/1	0.036
	64/1	0.109
	66/3	0.081
	120/4/ग	0.101
	63	0.041
	120/3	0.012
	120/5	0.008
	66/1	0.127
	120/4/क/1	0.121
योग	12	0.701

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रायगढ़ को परियोजना अंतर्गत तमनार–घरघोड़ा मार्ग पर एनटीपीसी द्वारा रेल्वे क्रासिंग के लिये रेल अण्डर पास (RUB) का निर्माण हेतु रेल्वे क्रासिंग 90 अंश पर बनने की वजह से मार्ग के दोनों ओर पहुंच हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2024

प्रकरण क्रमांक/05/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-बरबहली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.176 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	139/1	0.080
	138/1	0.064
	90	0.024
	73	0.008
योग	4	0.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रायगढ़ को परियोजना अंतर्गत कसडोल-भैंसगढ़ी-बरबहली होते हुए बरलिया तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2024

प्रकरण क्रमांक/06/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसगढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	33/3	0.028
योग	01	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रायगढ़ को परियोजना अंतर्गत कसडोल-भैंसगढ़ी-बरबहली होते हुए बरलिया तक मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 सितम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100044/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-गोर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.808 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132/1	0.082

(1)	(2)
129/6	0.041
143/2	0.239
160	0.721
237/1घ	0.142
237/1च	0.182
142	0.053
144/1	0.060
144/3	0.061
144/2	0.061
162/1	0.074
146/1क	0.040
146/2क	0.047
146/2ख	0.046
128/1	0.048
161/1	0.522
194/4	0.202
1206/3	0.129
558/1	0.263
189/1ख	0.026
189/1ग	0.053
189/1घ	0.060
189/1ङ	0.027
596/1	0.174
196	0.405
599	0.486
523	0.405
691/2	0.129
190/3	0.024
195	0.324
237/2	0.040
1206/4	0.202
200	0.158
569	0.263
560	0.020
529	0.421
1204	0.149
559/1	0.154
1216/1	0.041
1216/5	0.255
518/1	0.028
691/1	0.279
1218/3घ	0.036
1218/1क	0.028
1218/3क	0.106
1210/1	0.040
147/1	0.016
188	0.040
594/1	0.065
192/4	0.090
691/1से.	0.053
1218/1क	0.012
1218/3क	0.090
1218/3ग	0.048
1218/3ख	0.048
योग 55	7.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 सितम्बर 2024

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100051/अ–82/2022–23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–बघनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–1.118 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
14/1/क/1	0.041
14/1/क/2	0.048
14/1/ख/2	0.048
14/1/ख/1	0.041
13	0.202
9	0.069

(1)	(2)
14/2	0.089
14/3	0.089
6/1/ख	0.016
6/1/क	0.041
6/1 से.	0.028
6/2 से.	0.032
6/2/ख	0.049
6/2/क	0.004
2/1	0.097
2/2	0.097
2/3क	0.028
2/3ख	0.025
2/3ग	0.028
29	0.046
योग 20	1.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 सितम्बर 2024

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100081/अ–82/2022–23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम–मुरालीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–4.567 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
415/1	0.073
435/3	0.035
435/6	0.036
435/7	0.035
435/8	0.036
314/2	0.037
417/4	0.032
435/10	0.047
417/1	0.031
435/2	0.048
417/3	0.031
435/9	0.046
331/1	0.089
318/1	0.041
419/3	0.042
420/2	0.013
327	0.022
470/2	0.016
411/1	0.061
358/1/1	0.005
358/1/2	0.044
328/1	0.012
370/4	0.034
370/3/1	0.034
391/1	0.053
319/5	0.004
406/3	0.053
334/1	0.061
394/1	0.045
465/2/1	0.016
382/1/क/1	0.077
382/1ख/1	0.077
382/1/ग	0.033
380/1	0.024
380/3	0.032
380/4	0.033
330/1	0.073
357/12	0.077
357/1	0.079
333/2	0.008
329/2	0.150
369/1	0.073
335	0.004
314/1	0.032
381	0.158
393	0.177
437/478	0.080
466/1	0.060

(1)	(2)
396/1	0.033
321/1	0.101
264/1	0.039
325/1	0.036
457/1	0.041
264/2	0.030
462/2	0.016
457/4	0.040
264/3	0.040
265/1	0.198
258/2	0.036
258/3	0.033
258/4	0.039
263/3	0.047
263/4	0.045
263/5	0.018
309/2	0.040
309/1	0.048
258/5	0.035
258/6	0.032
263/6	0.047
263/7	0.045
307	0.012
309/4	0.049
309/5	0.041
308/1	0.012
309/6	0.049
412/3	0.048
412/6	0.049
406/4	0.024
406/6	0.024
394/2	0.138
394/3	0.008
326	0.012
346/3	0.013
332/2	0.052
429/3	0.069
429/4	0.045
345/3	0.017
345/4	0.016
346/1	0.025
461/2/2	0.033
465/4	0.008
358/2	0.020
465/3	0.009
465/2/2	0.008
465/2/3	0.009
374/1/2	0.008
374	0.016
456/3	0.121
456/2	0.214
योग 99	4.567

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

जगदलपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2024

क्रमांक/2085/कले./रीडर/2023–24.—एतद्द्वारा मैं विजय दयाराम के., कलेक्टर जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील तोकापाल, रा.नि.मं. केशलूर, प.ह.नं. 17 अंतर्गत

स्थित राजस्व ग्राम राजूर को विभाजित करके निम्नानुसार ग्राम बेड़ागुड़ा के रूप में राजस्व ग्राम घोषित करता हूं :—

स.क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम राजूर की स्थिति		ग्राम राजूर से विभाजित होने पर प्रस्तावित राजस्व ग्राम बेड़ागुड़ा की स्थिति	
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	2533	1573.16	348	133.00
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	1938	987.65	306	99.88
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल				
	अ आबादी भूमि	41	5.17	9	1.44
	ब अमराई बाग	5	2.36	3	0.87
	स छोटे झाड़ के जंगल व घास	437	485.14	13	1.64
	द बड़े झाड़ के जंगल	1	4.00	0	0
	ई पानी के नीचे	18	10.15	3	1.40
	फ पहाड़ चट्टान	2	9.01	0	0
	ज सड़क व रास्ता	91	69.68	14	27.77
	योग	**595**	**585.51**	**42**	**33.12**

जगदलपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2024

क्रमांक/2087/कले./रीडर/2023-24.—एतद्द्वारा मैं विजय दयाराम के., कलेक्टर जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील तोकापाल, रा.नि.मं. केशलूर, प.ह.नं. 17 अंतर्गत स्थित राजस्व ग्राम राजूर को विभाजित करके निम्नानुसार ग्राम छोटे राजूर के रूप में राजस्व ग्राम घोषित करता हूं :—

स.क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम राजूर की स्थिति		ग्राम राजूर से विभाजित होने पर प्रस्तावित राजस्व ग्राम छोटे राजूर की स्थिति	
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	2533	1573.16	830	639.60
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	1938	987.65	652	416.00
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल				
	अ आबादी भूमि	41	5.17	13	2.24
	ब अमराई बाग	5	2.36	0	0
	स छोटे झाड़ के जंगल व घास	437	485.14	125	186.30
	द बड़े झाड़ के जंगल	1	4.00	1	4.00
	ई पानी के नीचे	18	10.15	7	3.24
	फ पहाड़ चट्टान	2	9.01	2	9.01
	ज सड़क व रास्ता	91	69.68	30	18.81
	योग	**595**	**585.51**	**178**	**223.60**

विजय दयाराम के.
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 25th July 2024

No. 59/L.G./2024/II-3-35/2007.—Shri Ramashankar Prasad, Judge, Family Court, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 07 days from 06-07-2024 to 12-07-2024 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 05-07-2024 till 12-07-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Prasad, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+08 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2024

No. 60/L.G./2024/II-3-39/2010.—Shri Liladhar Sarthi, Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 02 days on 01-07-2024 & 02-07-2024 along with permission to remain out of headquarters and earned leave for 02 days on 09-07-2024 & 10-07-2024 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sarthi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 293 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2024

No. 61/L.G./2024/II-3-40/2010.—Shri Vijay Kumar Hota, Principal District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 03 days from 06-07-2024 to 08-07-2024 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Hota, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 295 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2024

No. 62/L.G./2024/II-3-26/2012.—Shri Vinod Kumar Dewangan, Judge, Family Court, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 02 days on 15-07-2024 & 16-07-2024 along with permission to remain out of headquarters from 14-07-2024 to 17-07-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dewangan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+13 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2024

No. 63/L.G./2024/II-2-11/2017.—Dr. Pragya Pachouri, principal District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for 04 days from 08-07-2024 to 11-07-2024 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 06-07-2024 till 11-07-2024.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Dr. Pachouri, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 119 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2024

No. 64/L.G./2024/II-2-11/2023.—Smt. Neelima Singh Baghel, Judge, Family Court, Bemetara is hereby, granted earned leave for 05 days from 15-04-2024 to 19-04-2024 along with permission to remain out of headquarters from 13-04-2024 to 21-04-2024 and earned leave for 03 days from 10-07-2024 to 12-07-2024 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Baghel, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 110 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2024

No. 65/L.G./2024/II-2-19/2015.—Smt. Satyabhama Ajay Dubey, Principal District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 02 days from 18-07-2024 to 19-07-2024 along with permission to remain out of headquarters from 18-07-2024 to 22-07-2024.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dubey, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 178 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)